न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी : पूरण कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (DJ Cadre)

<u>सेशन प्रकरण संख्या –227/2025</u>

CNR No.RJJR01-000583-2025

राजस्थान राज्य

<u>बनाम</u>

1. परबतसिंह पुत्र भोमसिंह,
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र भोमसिंह, निवासीगण–तोडियाना, पुलिसथाना आसोप, जिला जोधपुर

–––– **अभियुक्तगण**

<u>अपराध धारा 323, 327, 427, 436/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860</u>

<u>प्राथमिकी संख्या 37/2024, पुलिस थाना–आसोप</u>

उपस्थिति :

1. श्री चैनसिंह गहलोत, विद्वान् लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री देवीसिंह उदावत, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्तगण
3. श्री देवेन्द्र आसोपा, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते परिवादी

:: <u>निर्णय</u> :: **दिनांक : 01/08/2026**

1. यह प्रकरण पुलिस थाना–आसोप की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2024 में अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़ के समक्ष अभियुक्तगण परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 327, 427, 436/34 भारतीय दण्ड़ संहिता, 1860 के अधीन विचारण हेतु दिनांक 25/03/2025 को आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़ द्वारा दिनांक 25/03/2025 को धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों की पालना कर पत्रावली उपार्पित किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25/04/2025 को प्रकरण दर्ज कर संस्थित किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19/04/2024 को प्रार्थी सोहनसिंह द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि यह अपने गांव के सामुदायिक हॉल के सामने एक छोटा सा ढाबा (कैबिन), जो लकड़ी व लोहे के

चदर की बनी हुई थी, जिसमें मामूली तौर पर घरेलू सामान तेल, शक्कर, चाय, गोली बिस्किट एवं चिप्स वगैरा के पाउच वगैरा बेचता हूं, जो कैबिन समय मिलने पर सुबह–शाम बेचता हूं। कल दिनांक 18 / 04 / 2024 को हमेशा की तरह रात्रि 07:30 बजे कैबिन पर बैठा था कि परबतसिंह इसके कैबिन पर आया, जिसने शराब पी रखी थी, आते ही बोला कि कैबिन बंद कर वरना जान से खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद इसे कैबिन से हाथ पकड़कर उठाकर टांका तक खींचकर ले गया और बोला कि शराब के पैसे दे वरना ढाबे को जला दूंगा और तुमको भी साथ जला दूंगा। इतने में उसकी माता आ गई और बीचबचाव किया। तब परबतसिंह ने जोर से कहा कि तेरा कैबिन सुबह तक जला हुआ मिलेगा। उस समय इसकी जेब में कुछ रुपये थे, जो छीनकर ले गया और इसकी कमीज को भी फाड़ दिया। फिर कैबिन को बंद करके यह घर चला गया और घर जाकर इसने अपने पुत्र नरपतसिंह को इस घटना के बारे में बताया। तब इसका पुत्र उसी समय परबतसिंह के घर पर ओलबा देने के लिए गया तो परबतसिंह ने इसके पुत्र को भी बोला कि आज तो बच गया, सुबह कैबिन व तेरे पिता को भी साथ जला दूंगा। उस समय उसका छोटा भाई जितेन्द्रसिंह भी मौजूद था और कैबिन तो तुझे सुबह जला हुआ मिलेगा। रात्रि में इसकी कैबिन को परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह ने जला कर राख कर दिया, इनके साथ 1–2 अन्य व्यक्ति भी हो सकते है। कैबिन जलाने से किराणे का सामान व कैबिन सहित करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ, वगैरा।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना आसोप द्वारा प्रकरण संख्या 37 / 2024, अन्तर्गत धारा 323, 327, 382, 427, 436 / 34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 327, 427, 436 / 34 भारतीय दण्ड़ संहिता, 1860 के अधीन अपराधों के विचारण हेतु उपरोक्तानुसार आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. उभय पक्षकारान् की बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 12 / 08 / 2025 को अभियुक्त परबतसिंह को धारा 323, 327, 427, 436 / 34 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त जितेन्द्रसिंह को धारा 427, 436 / 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित

करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान् को पेश कर परीक्षित करवाया गया :–

पी.डब्ल्यू.–1 सोहनसिंह	पी.डब्ल्यू.–2 नरपतसिंह
पी.डब्ल्यू.–3 भीकसिंह	पी.डब्ल्यू.–4 दुर्गाराम

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात् को पेश कर परीक्षित करवाया गया :–

पुलिस बयान सोहनसिंह प्रदर्श पी–1	लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2
नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी–3	पुलिस बयान नरपतसिंह प्रदर्श पी–4
पुलिस बयान भीकसिंह प्रदर्श पी–5	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम परबतसिंह प्रदर्श पी–6
फर्द गिरफ्तारी मुलजिम जितेन्द्रसिंह प्रदर्श पी–7	मुलजिम परबतसिंह द्वारा धारा 27 सा. अधि. की इत्तला प्रदर्श पी–8
फर्द मौका तस्दीक द्वारा मुलजिम परबतसिंह प्रदर्श पी–9	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नुकसान हुए किराणा सामान की सूची प्रदर्श पी–10

यह उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण प्रकरण में परिवादी सोहनसिंह द्वारा लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईश से अभियुक्तगण परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 427 में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अब वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया तो राजीनामा होना स्वीकार किया गया। राजीनामा अंतर्गत धारा–323, 427 भारतीय दण्ड संहिता में परिवादी सोहनसिंह की हद तक तस्दीक किया गया। अब प्रकरण में अभियुक्त परबतसिंह के विरुद्ध शेष रही धारा 327, 436/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त जितेन्द्रसिंह के विरुद्ध शेष रही धारा 436/34 भारतीय दण्ड संहिता की हद तक निर्णय पारित किया जा रहा है।

7. दिनांक 01/08/2026 को अभियुक्तगण परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह के मुलजिम बयान अन्तर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये तो उन्होंने अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत साक्ष्य देना व उन्हें झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

8. मैंने उभय पक्षकारान् की बहस अंतिम सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य, अभियुक्तगण पर विरचित किये गये आरोप तथा पक्षकारान् की बहस को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष को निम्न बिन्दु को साबित किया जाना आवश्यक :—

1. *''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 18 / 04 / 2024 को समय शाम 07:30 बजे के लगभग सरहद मौजा तोडियाना में परिवादी सोहनसिंह का ढाबा (कैबिन), जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता था, में नुकसान कारित करने के सामान्य आशय से उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की व अभियुक्त परबतसिंह द्वारा परिवादी सोहनसिंह से शराब पीने हेतु पैसे मांगे व परिवादी द्वारा मना करने पर उसे मजबूर करने के लिए स्वैच्छया उपहति कारित की ?''*

यदि हाँ, तो उसके लिए उपयुक्त दण्ड क्या है ?

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए जो साक्ष्य पेश की गई है, वह निम्न प्रकार है:—

गवाह पी.डब्ल्यू.—1 सोहनसिंह, को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान तिथि से करीब दो साल पहले की बात है। यह हाजिर अदालत मुलजिम परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह को जानता है, जो इसके गांव के ही रहने वाले है। इसके गांव में एक कैबिन आई हुई है, जिसमें यह छोटा—मोटा काम करता है। मुलजिमान जितेन्द्रसिंह व परबतसिंह ने दो साल पहले इसके साथ में मारपीट नहीं की, न ही इसका कैबिन जलाया था।

गवाह पी.डब्ल्यू.—2 नरपतसिंह, को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह हाजिर अदालत मुलजिमान को जानता है। इसके पिताजी सोहनसिंह अपने गांव में एक ढाबा चलाते है, जिसमें ये अपना छोटा—मोटा काम करते हैं। दो साल पहले मुलजिमानों ने इसके पिताजी के साथ में मारपीट नहीं की, न ही इनके ढाबे में आग लगाई थी। इसके पिताजी के साथ इन लोगों ने कोई घटना कारित नहीं की थी।

गवाह पी.डब्ल्यू.—3 भीकसिंह, को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह हाजिर अदालत मुलजिम परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह को जानता है। यह अपने गांव के सोहनसिंह को भी जानता है। सोहनसिंह इनके गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते है, जिसमें वो

अपना छोटा–मोटा काम करते हैं। दो साल पहले मुलजिमान ने सोहनसिंह के कैबिन में न तो आग लगाई थी, न ही उन्होंने उनके साथ में मारपीट की थी, न ही इसके सामने सोहनसिंह से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। सोहनसिंह की कैबिन कैसे जली इसको पता नहीं है।

पी.डब्ल्यू.–4 दुर्गाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 19 / 04 / 2024 को पुलिसथाना आसोप में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या–37 / 2024 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी–3 तैयार किया, जिस पर ई से एफ इसके हस्ताक्षर है। गवाहान् के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल के फोटोग्राफ्स खींचवाकर शामिल पत्रावली किए। मुलजिम परबतसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 के गिरफ्तार किया, जिस पर जी से एच इसके हस्ताक्षर है। मुलजिम द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–8 के अनुसार इसने व इसके भाई जितेन्द्रसिंह ने सोहनसिंह का ढाबा जलाया, जिसकी घ टनास्थल मौका तस्दीक प्रदर्श पी–9 है। प्रार्थी को हुए नुकसान की विवरण सूची प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है।

10. **विद्वान् लोक अभियोजक श्री चैनसिंह गहलोत व विद्वान् अधिवक्ता परिवादी श्री देवेन्द्र आसोपा** ने प्रकरण में बहस अंतिम करते हुए कथन किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत बचाव पक्ष के **विद्वान् अधिवक्ता श्री देवीसिंह** की ओर से बहस की गयी है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी सोहनसिंह व परिवादी का पुत्र नरपतसिंह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त परबतसिंह ने परिवादी से शराब के लिए रुपये मांगे हो, ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न ही उक्त घटना के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई चश्मदीद साक्षी परीक्षित करवाया है। परिवादी ने कैबिन जलाने की घटना रात्रि की होना बताया है। उक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पक्षकारान् के मध्य अंतर्गत धारा 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू–1 सोहनसिंह (परिवादी) व पी.डब्ल्यू.–2 नरपतसिंह (परिवादी का पुत्र) है। साक्षी पी.डब्ल्यू–1 सोहनसिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दो साल पहले मुलजिम परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह, जो इसके गांव के ही रहने वाले है, ने इसके साथ मारपीट नहीं की, न ही इसका कैबिन जलाया था। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया, **जिसने अपनी जिरह में कथन किया है कि** यह अनपढ़ है। पुलिस ने इसके बयान नहीं लिए, केवल पूछताछ की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का तात्विक भाग इसने पुलिस को नहीं दिया, कैसे लिखा इसे पता नहीं। इसने थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पेश की थी। रिपोर्ट पेश करने के बाद पुलिस ने नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था। साक्षी ने जिरह में यह सुझाव सही होना बताया है कि इनके व मुलजिमानों के बीच राजीनामा हो गया है। **विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में** साक्षी ने यह सुझाव सही होना बताया है कि मुलजिमानों ने इसके साथ मारपीट नहीं की, न ही इसका कैबिन जलाया था। पुलिस ने इसके थाने में कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, उनमें क्या लिखा, इसे पता नहीं। पुलिस ने लिखा–पढ़ी कर इसे नहीं सुनाया। प्रदर्श पी–2 व 3 में पुलिस ने क्या लिखा, इसे पता नहीं, इसने पुलिस के कहने से हस्ताक्षर कर दिए थे।

इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में जो साक्ष्य दी गयी है, उससे प्रकट हुआ है कि मुलजिमान पर्वतसिंह व जितेन्द्रसिंह ने इसके कैबिन को नहीं जलाया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम परबतसिंह द्वारा शराब के लिए रुपये मांगने की घटना के बारे में कोई कथन नहीं किया है तथा विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में साक्षी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–3 में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई, से स्वयं को अनभिज्ञ होना जाहिर किया है। साक्षी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वह अनपढ़ है तथा पुलिस द्वारा उक्त कागजों में क्या लिखा गया, क्या नहीं, यह परिवादी को नहीं पता, उक्त फर्दे पुलिस द्वारा परिवादी को पढ़कर नहीं सुनाई गई। परिवादी / साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 सोहनसिंह द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 की पुष्टि उसके बयानों से नहीं होती है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने से इंकार किया है तथा स्वयं द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम

सूचना रिपोर्ट की लेशमात्र भी पुष्टि अपने सशपथ कथनों में नहीं की है। साक्षी पी. डब्ल्यू.—1 सोहनसिंह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

अब प्रकरण के **अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू.—2 नरपतसिंह** की साक्ष्य का अवलोकन करे तो साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दो साल पहले मुलजिम परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह ने इसके पिताजी के साथ मारपीट नहीं की, न ही इसके ढाबे में आग लगाई थी। इसके पिताजी के साथ इन लोगों ने कोई घटना कारित नहीं की थी। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया, जिसने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह पढ़ा—लिखा है, पुलिस ने इसके बयान नहीं लिए, केवल पूछताछ की। पुलिस बयान प्रदर्श पी—4 का तात्विक भाग इसने पुलिस को नहीं दिया, कैसे लिए इसे पता नहीं। साक्षी ने जिरह में यह सुझाव सही होना बताया है कि इनके व मुलजिमान के बीच राजीनामा हो गया है। **साक्षी पी.डब्ल्यू.—2 नरपतसिंह, परिवादी पी.डब्ल्यू.—1 सोहनसिंह का पुत्र है, जिसने अपने पिता द्वारा दी गई साक्ष्य के अनुसार ही कथन किए है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद अपने बयानों में नहीं की है। साक्षी पी.डब्ल्यू.—2 नरपतसिंह ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मुलजिम परबतसिंह ने शराब के लिए इसके पिता से रुपये मांगे हो, न ही मुलजिम द्वारा रुपये मांगते हुए इस साक्षी द्वारा देखा गया। इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कहानी संदेहजनक व अविश्वसनीय प्रतीत होती है।**

12. इसी क्रम में अब **साक्षी पी.डब्ल्यू.—3 भीकसिंह** की साक्ष्य का अवलोकन करें तो साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह मुलजिम परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह को जानता है। यह अपने गांव के सोहनसिंह को भी जानता है। सोहनसिंह इनके गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते है, जिसमें वो अपना छोटा—मोटा काम करते हैं। **दो साल पहले मुलजिमान ने सोहनसिंह के कैबिन में न तो आग लगाई थी, न ही उन्होंने उनके साथ में मारपीट की थी, न ही इसके सामने सोहनसिंह से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। सोहनसिंह की कैबिन कैसे जली इसको पता नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त साक्षी प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी है,** जिसके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित करवाया गया, जिसने अपनी जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी—5 का तात्विक भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है तथा मुलजिमान के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है।

धारा—327 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए परिवादी/मजरूब को स्वैच्छया उपहति कारित किया जाना, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त परबतसिंह द्वारा परिवादी से किस प्रकार की धनराशि या संपत्ति प्राप्त करने के आशय से मारपीट की, इस संबंध में परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। **यद्यपि प्रकरण में अभियोजन द्वारा साक्षी पी.डब्ल्यू.—3 भीकसिंह को स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित जरूर करवाया है, परन्तु उसने अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिमान द्वारा परिवादी के कैबिन में आग लगाने, परिवादी के साथ मारपीट करने व इसके सामने परिवादी से शराब के लिए रुपये मांगने की घटना से स्पष्टतः इंकार किया है।** साथ ही परिवादी स्वयं पी.डब्ल्यू.—1 सोहनसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया है कि मुलजिमान ने उसके साथ मारपीट नहीं की, न ही कैबिन जलाया तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उसका मुलजिमान के साथ राजीनामा हो गया है।

प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू.—4 दुर्गाराम है, जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर प्रकरण में **औपचारिक साक्षी मात्र** है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी—3 तैयार करने, मुलजिम परबतसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—6 के गिरफ्तार करने तथा मुलजिम द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी—8 के अनुसार घटनास्थल मौका तस्दीक प्रदर्श पी—9 मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किए जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में यह स्वीकारोक्ति कथन किया है कि **घटना का कोई चश्मदीद नहीं था। साक्षी ने जिरह में यह सुझाव सही होना बताया है कि मुलजिमान से किसी तरह की बरामदगी नहीं थी। मजरूब का मेडिकल मुआयना नहीं करवाया था। साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने अपने जले हुए सामान का कोई बिल पेश नहीं किया था। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि ढाबे के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं किए थे। यह कहना सही है कि मुलजिम ने इसको मौका तस्दीक करवाने की इत्तला दी थी, उससे पूर्व इसने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया था।** इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, आगजनी से संबंधित वस्तुओं के स्वामित्व के दस्तावेज परिवादी सोहनसिंह द्वारा

प्रस्तुत नहीं किए गए, कैबिन में जले हुए सामान के बिल उपलब्ध नहीं करवाए गए, न ही परिवादी के लगी चोटों की सत्यता के संबंध में कोई चोट प्रतिवेदन मुर्तिब किया गया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियुक्त परबतसिंह द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–8 के संबंध में भी कोई मौखिक एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

हस्तगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा अभियुक्तगण को परिवादी के कैबिन में आग लगाते हुए किसीने देखा हो, ऐसे किसी चश्मदीद साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है। परिवादी सोहनसिंह द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी सोहनसिंह का ढाबा (कैबिन), जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता था, में नुकसान कारित करने के सामान्य आशय से उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की व अभियुक्त परबतसिंह द्वारा परिवादी सोहनसिंह से शराब पीने हेतु पैसे मांगे व परिवादी द्वारा मना करने पर उसे मजबूर करने के लिए स्वैच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त परबतसिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 327, 436/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त जितेन्द्रसिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 436/34 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

13. परिणामतः अभियुक्त **परबतसिंह पुत्र भोमसिंह, निवासी–तोडियाना, पुलिस थाना आसोप, जिला जोधपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 327, 436 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त जितेन्द्रसिंह पुत्र भोमसिंह, निवासी–तोडियाना, पुलिसथाना आसोप, जिला जोधपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 436 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही अभियुक्तगण **परबतसिंह व जितेन्द्रसिंह** को अपराध अंतर्गत धारा **323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता** में जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर आजाद है, उनके अन्वीक्षार्थ लिये गये

जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण को धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत छः माह के लिए प्रभावी जमानतनामा—मुचलकानामा तादादी 10,000—10,000 रूपये इस आशय के साथ पेश करने का आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से अपील या अन्य कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्तगण वहाँ व्यक्तिशः उपस्थित होंगे।

प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत, यदि कोई हो तो, बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

14. निर्णय व आदेश आज दिनांक 01 / 08 / 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला